भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2672
उत्तर देने की तारीख 04 अगस्त, 2021

जनजातीय और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचार सेवाएं

2672. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:, डॉ. सुकान्त मजूमदार:, श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):,
श्री भोला सिंह:, डॉ. जयंत कुमार राय:, श्री विनोद कुमार सोनकर:,
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के जनजातीय और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्र टेली डेंसिटी, सेवाओं की गुणवत्ता और नेटवर्क कवरेज आदि जैसे संचार संकेतकों में देश के अन्य भागों की तुलना में पिछड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त संचार संकेतकों के संदर्भ में ओडिशा में बोलंगीर क्षेत्र सहित पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य हासिल किया गया;

(घ) क्या सरकार ने ओडिशा के बोलंगीर क्षेत्र सहित जनजातीय और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए कोई नई पहल की है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित/जारी/उपयोग की गई?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा बेंचमार्क निर्धारित करके, समय-समय पर जारी किए गए सेवा-गुणवत्ता विनियमों के माध्यम से यथा-निर्धारित विभिन्न सेवा-गुणवत्ता पैरामीटर के बेंचमार्क के आधार पर, तिमाही कार्य-निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के जरिए, ट्राई दूरसंचार सेवा-प्रदाताओं (टीएसपी) के कार्य-निष्पादन की निगरानी करता है। कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन

समग्र लाइसेंस सेवा क्षेत्र के लिए किया जाता है। जिले या किसी विशेष क्षेत्र जैसे जनजातीय और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों में सेवा-गुणवत्ता कार्य-निष्पादन के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है।

दूरसंचार विभाग जनजातीय/एलडब्ल्यूई क्षेत्र-वार टेली-घनत्व डाटा का रख-रखाव नहीं करता है। तथापि दिनांक 31.05.2021 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए सेवा क्षेत्र-वार ग्रामीण और शहरी टेली-घनत्व अनुबंध-I में दिया गया है।

तथापि दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2020 में कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि देश के बसे हुए जनगणना वाले 5,97,618 गांवों में से करीब 5,72,551 गांवों में पहले से ही मोबाइल नेटवर्क कवरेज है जिसमें जनजातीय और एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्र भी शामिल हैं, जबकि 25,067 बसे हुए गांवों में कवरेज उपलब्ध नहीं है। सरकार टीएसपी के माध्यम से देश के कवर नहीं किए गए गांवों में चरणबद्ध तरीके से मोबाइल नेटवर्क कवरेज उपलब्ध कराती है। एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज और क्षमता को बढ़ाने के लिए टीएसपी द्वारा स्थापित बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की राज्य-वार संख्या का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। ओडिशा के बोलंगीर जिले में मोबाइल नेटवर्क कवरेज और क्षमता को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2019, 2020 और 2021 में टीएसपी द्वारा क्रमश: 418, 312 और 113 बीटीएस स्थापित किए गए हैं। भारतनेट परियोजना के तहत ओडिशा के बोलंगीर में वित्त वर्ष 2020 और 2021 के दौरान 259 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।

(घ) से (च) सरकार ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के तहत विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं नामत: (i) एलडब्ल्यूई (चरण-I और II) परियोजना, (ii) आकांक्षी जिला योजना, (iii) चेन्नई से अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी को शुरू करना, (iv) कोच्चि से लक्षद्वीप द्वीपसमूह तक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को जोड़ने हेतु स्कीम, (v) भारतनेट (चरण-I और II) परियोजना, (vi) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी हेतु व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी), (vii) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-223) की निर्बाध 4जी मोबाइल कवरेज की व्यवस्था, इत्यादि के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों (जिसमें जनजातीय और एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्र भी शामिल हैं) में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा रही है। पिछले तीन वित्त वर्षों (2019 से 2021) के दौरान यूएसओएफ से निधि के संवितरण का स्कीम/कार्यक्रम-वार विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

ओडिशा के बोलंगीर क्षेत्र सहित एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तारण हेतु एलडब्ल्यूई चरण-I और II का विवरण निम्नलिखित है:

- चरण-I के तहत एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं शुरू करने के लिए 2343 टावर स्थापित करके परियोजना को पूरा किया जा चुका है। एलडब्ल्यूई चरण-I के तहत बोलंगीर, ओडिशा के महाखण्ड और मागुरबेड़ा स्थलों पर मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं और सेवाएं चालू हैं।

- सरकार ने जनजातीय और एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु एलडब्ल्यूई चरण-II स्कीम को अनुमोदन दे दिया है। इस स्कीम के तहत गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित स्थानों पर 2542 मोबाइल टावरों को शुरू किया जाना है जिसमें 483 मोबाइल टावर ओडिशा राज्य (बोलंगीर इस स्कीम के तहत नहीं है) में हैं।

भारतनेट चरण-I और II के तहत दिनांक 09.07.2021 तक देश में कुल 1,57,919 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। हाल ही में भारतनेट के कार्य क्षेत्र को ग्राम पंचायतों के अलावा सभी बसे हुए गांवों तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त दूरसंचार विभाग ने गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु कई नीतिगत पहल की है। इनमें स्पेक्ट्रम को(ट्रेडिंग/शेयरिंग /लिबरलाइजेशन की अनुमति देना, निष्क्रिय और सक्रिय बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति देना, मार्गाधिकार नियमावली-2016 की अधिसूचना जारी करना, टावरों की स्थापना के लिए सरकारी भूमि/भवन उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं। देश भर में मार्च-2014 (6.49 लाख बीटीएस) से 27 जुलाई 2021 (22.64 लाख बीटीएस) की अवधि के दौरान टीएसपी द्वारा 2जी/3जी/4जी-एलटीई सेवाओं के लिए लगभग 16.14 लाख अतिरिक्त बीटीएस जोड़े गए हैं।

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 04.08.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 2672 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	31.03.2019		31.03.2020		31.03.2021		31.05.2021	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	आंध्र प्रदेश	64.96	181.15	66.05	179.35	82.59	125.04	82.71	121.87
2	असम	42.36	199.72	49.39	170.31	52.82	170.52	53.33	170.50
3	बिहार	45.55	149.09	45.49	142.72	41.54	119.71	41.78	116.44
4	गुजरात	71.11	155.35	70.98	146.32	76.62	123.36	76.01	124.41
5	हरियाणा	70.82	142.00	71.26	136.37	71.82	128.99	72.06	129.51
6	हिमाचल प्रदेश	114.29	378.46	114.24	395.72	113.87	490.11	113.73	480.36
7	जम्मू और कश्मीर	56.19	172.73	62.53	168.24	59.18	158.50	59.65	154.00
8	कर्नाटक	62.23	182.15	74.13	158.84	72.96	148.59	74.60	143.73
9	केरल	76.85	272.53	76.55	261.98	199.48	101.18	202.58	101.78
10	मध्य प्रदेश	44.12	137.10	43.77	134.83	43.46	133.59	43.33	134.27
11	महाराष्ट्र	68.34	133.80	68.16	130.05	67.92	147.49	67.15	147.20
12	पूर्वोत्तर	44.30	198.62	53.33	168.53	61.61	119.74	62.43	118.32
13	ओडिशा	60.27	144.73	62.62	137.98	62.73	147.63	63.54	145.72
14	पंजाब	78.37	181.51	78.56	176.04	76.05	189.54	74.98	190.39
15	राजस्थान	57.60	171.59	61.34	161.97	62.36	145.07	62.09	141.94
16	तमिलनाडु	85.94	135.30	98.80	124.90	68.67	143.05	68.40	143.33
17	उत्तर प्रदेश (पूर्व)								
18	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	49.22	132.63	45.22	134.86	51.18	120.84	50.91	121.37
19	पश्चिम बंगाल	54.19	172.51	49.67	174.12	54.93	113.53	54.79	116.42
20	कोलकाता	#	#	#	#	#	#	#	#
21	दिल्ली	#	#	#	#	#	#	#	#
22	मुंबई	#	#	#	#	#	#	#	#
	संपूर्ण भारत	57.50	159.66	57.87	153.68	60.17	141.29	60.14	140.30

कोलकाता, दिल्ली और मुंबई सेवा क्षेत्रों का जनसंख्या का ग्रामीण और शहरी विवरण उपलब्ध नहीं है।

अनुबंध-II

लोक सभा के दिनांक 04.08.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 2672 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में टीएसपी द्वारा स्थापित बीटीएस की संख्या				
क्र.सं.	राज्य का नाम	**एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में टीएसपी द्वारा स्थापित बीटीएस की वित्त वर्ष वार संख्या**		
		2018-2019	**2019-2020**	**2020-2021**
1	आंध्र प्रदेश	7065	4172	2460
2	बिहार	9257	6890	3558
3	छत्तीसगढ	4371	1174	2738
4	झारखंड	8861	6212	4271
5	मध्य प्रदेश	672	512	133
6	महाराष्ट्र	1402	1010	505
7	ओडिशा	3570	2607	1423
8	तेलंगाना	2913	1327	771
9	उत्तर प्रदेश	1448	1548	899
10	पश्चिम बंगाल	543	300	102
11	केरल	2754	1515	1046

अनुबंध-III

लोक सभा के दिनांक 04.08.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 2672 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III

पिछले तीन वित्त वर्ष (2019 से 2021) के दौरान सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से स्कीम/परियोजना-वार संवितरण				
क्र. सं.	**स्कीम का नाम**	**करोड़ रु. में**		
		2018-19	**2019-20**	**2020-21**
1	बीएसएनएल के ग्रामीण एक्सचेंजों में 25000 वाई-फाई की स्थापना	---	128.45	115.64
2	भारतनेट	4145.54	1657.74	5919.79
3	प्रभाव आकलन	---	0.15	---
4	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान	414.31	459.79	305.03
5	असम और सिक्किम में मोबाइल सेवाएं (बीएएल)	---	170.25	93.53
6	पूर्वोत्तर (बीएचएल) में मोबाइल सेवाएं	---	182.85	187.25
7	सेवा से वंचित गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (नया वीपीटी-2)	8.48	22.15	0.02
8	असम में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार, सृजन और प्रबंधन	6.12	---	---
9	दिनांक 01.04.2007 के बाद स्थापित ग्रामीण घरेलू प्रत्यक्ष विनिमय लाइनें (आरडीईएल-एक्स)	18.04	---	---
10	अंडमान और निकोबार में सैटेलाइट बैंडविड्थ का विस्तार	56.00	38.06	27.84
11	लक्षद्वीप में सैटेलाइट बैंडविड्थ का विस्तार	39.66	---	22.86
12	अंडमान और निकोबार द्वीपों में सबमरीन ओएफसी कनेक्टिविटी का प्रावधान	93.25	259.22	512.80
13	लक्षद्वीप में दस 2जी बीटीएस की स्थापना	---	---	9.21
14	354 सेवा से वंचित गांव	---	---	0.52
15	रेल टेल द्वारा रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई की स्थापना	2.01	0.91	5.46
16	ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड	4.81	6.41	0.06
	कुल योग	**4788.22**	**2926.00**	**7200.00**

******